प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर–द्वितीय.थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
   प्र0सू0रि0 सं 227/23 दिनांक 23/8/2023
2. (1) अधिनियम.....पी.सी. एक्ट 1988..... धाराए ..... 13(1)(सी)(डी), 13(2).....
   (2) अधिनियम.....भादंसं..... धाराएं .....120 बी.....
   (3) अधिनियम.....धाराएं.....
   (4) अन्य अधिनियम एवं.....धाराएं.....
3. (क) घटना का दिन :– .....दिनांक :–.....वर्ष 2013 से वर्ष 2016 .... ..समय : .....
   (ख) थाने पर प्राप्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .....समय : .....
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 449 समय 11.10 pm
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई :– (लिखित/मौखिक) लिखित।
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से उतर दिशा बफासला करीब 500 मीटर ।
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पता :– कार्यालय नगर परिषद् श्रीगंगानगर।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
   थाने का नाम..... जिला .....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :–**श्री कुन्दनलाल**
(ख) पिता/पति का नाम :– **श्री ईश्वरदास अरोड़ा**
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **70 वर्ष**

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीयता

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....

(च) व्यवसाय –

(छ) पता :– **निवासी 178 सुरजीत सिह कालोनी वार्ड नम्बर 17 श्रीगगांनगर।**

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. **श्री सर्दूल सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद् श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत निवासी पुरानी आबादी कोढ़ियों वाली पुली खालसानगर गेट के सामने श्रीगंगानगर।**
2. **श्री मामराज पुत्र श्री तेजाराम जाति नायक निवासी 142 शिव कालोनी वार्ड नम्बर 38 श्रीगगानगर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक नगर परिषद् श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत।**
3. **श्रीमती बलवीर कौर पत्नि स्व. गुरशरण सिंह निवासी चक 5 जेड लायलपुर फार्म तह. व जिला श्रीगंगानगर।**
4. **श्री हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. गुरशरण सिंह निवासी चक 5 जेड लायलपुर फार्म तह. व जिला श्रीगंगानगर।**
5. **श्री राजेन्द्र वधवा पुत्र श्री जगदीशचन्द्र वधवा निवासी 2 बी 25 सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर ।**
6. **श्री हरीश जसूजा पुत्र श्री कशमीरीलाल जसूजा निवासी 1 बी 17 सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर ।**
7. **एवं अन्य।**

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

आरोपी श्री मामराज वरिष्ठ सहायक भूमि शाखा नगरपरिषद श्रीगंगानगर द्वारा भूखण्ड संख्या 01 सिटी ट्रेड सेन्टर पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर के भूखण्ड स्वामी श्रीमती बलवीर कौर एवं हरप्रीत सिंह से मिलीभगत कर भू–रूपान्तरण (आवासीय से व्यवसायिक) हेतु निर्धारित आरक्षित दर का 40 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करवाकर 20 प्रतिशत राशि कम

प्राप्त की गई तथा इस भूखण्ड के खरीददार श्री राजेन्द्र वधवा एवं श्री हरीश जसूजा द्वारा उक्त भूखण्ड का नामान्तरण एवं उप विभाजन करवाये बिना चार अलग–अलग निर्माण स्वीकृति हासिल कर स्वीकृतशुदा हॉलनुमा नक्शे के विपरीत उक्त भूखण्ड पर एक मॉलनुमा भवन का निर्माण करते हुऐ छोटी–छोटी दुकानें अलग–अलग लोगों को विक्रय कर दी गई। कनिष्ठ अभियन्ता सर्दुल सिंह द्वारा अपनी रिपोर्ट में बेसमेन्ट एवम भूतल का निर्माण के दौरान ही भूखण्ड विक्रय होने पर निर्माण की सूचना दिये बिना पूर्व स्वीकृति के अनुसार ही अलग–अलग निर्माण स्वीकृतियां जारी करवा दी गई तथा अलग–अलग जारी निर्माण स्वीकृतियों में वर्णित 50 फुट उंचाई के स्थान पर ग्राउण्ड लेवल से छत तक कुल 69 फुट उंचाई का निर्माण नियम विरूद्व करवाकर अनुचित लाभ पहुंचाया, इस प्रकार आरोपीगण ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर नियम विरूद्ध नक्शा स्वीकृत व निर्माण करवाकर राजकोष को हानि कारित कर अपने–अपने पदो का दुरूपयोग करते हुऐ लाभार्थीगण को अनुचित लाभ पहॅुचाने आदि का आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु :–

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी कुन्दनलाल अरोड़ा ने भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर में एक शिकायत इस आश्य की प्रेषित की कि पीएनबी श्रीगंगानगर द्वारा बिना किसी जांच व जानकारी के करोड़ों रूपये का लोन बिल्डर राजेन्द्र वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र वधवा व हरीश जसूजा पुत्र श्री कशमीरीलाल जसूजा को फर्जी तरीके से दिया। इस तरीके से पीएनबी द्वारा आम जनता के पैसे का नुकसान हुआ। बिल्डर ने अपने शपथ पत्र के विपरीत निर्माण किया।

1.भूखण्ड संख्या 1 पर सिटी ट्रेड सेन्टर का अयोग्य निर्माण 2013 से तेजी से निदेशक निकाय विभाग के खिलाफ चल रहा है। भूखण्ड क्षेत्र 77 गुणा 90 फुट है जो कि जे.ई.एन. नगरपरिषद, श्रीगंगानगर ने एक ही नक्शे से चार छोटे टुकड़ों में स्वीकृत किया व भूखण्ड का वास्तविक माप 77 गुणा 90 फुट नक्शे में नहीं लिखा। भूखण्ड संख्या 1 पब्लिक पार्क का नक्शा फर्जी तरीके से भूमाफिया श्री राजेन्द्र वधवा व हरीश जसूजा ने जेईएन व एईएन संग फर्जी तरीके से पास करवाया। नक्शे में सैट बैक व खुला स्थान नहीं छोड़ा गया जबकि आमतौर पर भूखण्ड का 35 प्रतिशत भाग खुले स्थान के लिए छोड़ा जाना जाहिए। आमतौर पर किसी भी बहुमंजिला भवन की उंचाई 35 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए परन्तु यहां जेईएन नगरपरिषद द्वारा भवन निर्माताओं को खुश करने के लिए हर नुकसान को नजरअंदाज करके 50 फुट की उंचाई की मंजूरी दे दी, क्योंकि भवन निर्माताओं ने राजनीति में होने के कारण भवन का निर्माण 50 फुट से बढ़ाकर 65 फुट कर दिया व इसके उन्होने डबल बेसमेंट का निर्माण किया जिसकी गहराई धरती से 20 फुट नीचे रखी गई जबकि कोई भी कानून आपको धरती से 4 फुट से ज्यादा खोदने की अनुमति नहीं देता क्योंकि इसके कारण पानी का रिसाव होने लगता है तथा भवन व भवन के आसपास के भवनों के भी गिरने का खतरा रहता है जिससे सभी आमजनों की जान को भी खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त 1. पार्किंग की सुविधा नहीं है। 2. लिफ्ट का कोई इन्तजाम नहीं है। 3. ट्रांसफार्मर नहीं है। 4. अग्निशामक नहीं है। 5. सेट बैक नहीं है। 6. खुला स्थान नहीं है। 7. वाणिज्यिक रूपान्तरण नहीं है। 8. जल संचय नहीं है। इसके अलावा रोड़ का अतिक्रमण करके 6 गुणा 17 फुट व 6 गुणा 90 फुट बेसमेण्ट बनाया गया है। चूंकि उपरोक्त सिटी ट्रेड सेन्टर श्रीगंगानगर रेल्वे स्टेशन के बहुत करीब है व इसकी उंचाई 65 फुट से अधिक है इसलिए कुछ विरोधी राष्ट्र तत्व सैन्य विशेष ट्रेन और सार्वजनिक ट्रेन की गतिविधियों को देख सकते हैं तथा तस्वीरें ले सकते हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। नगरपरिषद गंगानगर द्वारा अवैध निर्माण करने के बारे में राजेन्द्र वधवा पुत्र जगदीशचन्द्र वधवा को नोटिस संख्या 1729 दिनांक 28.01.15 और नोटिस संख्या 1761 दिनांक 06.02.15 को दिया गया। हरीश जसूजा पुत्र कशमीरीलाल जसूजा को अवैध निर्माण का नोटिस संख्या 1730 दिनांक 28.01.15 व नोटिस संख्या 1731 दिनांक 29.01.15 को दिया गया, इसके अतिरिक्त राजेन्द्र वधवा व हरीश जसूजा को अवैध निर्माण का नोटिस संख्या निर्माण/17/451 दिनांक 01.08.2017 को दिया गया। इसी तरीके से इन्होने ऐसे कई बहुमंजिला निर्माण किये जैसे कि 1. सिटी केज मॉल, एच ब्लॉक डिग्गी 2. सिटी मॉल सुखाड़िया सर्किल 3. मेट्रो रेजीडेन्सी, जी ब्लॉक, गौशाला रोड़ जो कि सभी नियमों व नक्शे के खिलाफ बनाये गये हैं।

2.पंजाब नेशनल बैंक ने सिटी ट्रेड सेन्टर नं. 1 ए पब्लिक पार्क में सम्पत्ति के गिरवी होने के किसी भी साईन बोर्ड को प्रदर्शित नहीं किया। बैंक का साईन बोर्ड न होने के कारण इस प्रकार जनता को धोखा दिया। बिल्डर ने इस माल में दुकानों के बदले खरीददारों से करोड़ो रूपया लिया जबकि

दुकानें पहले से ही बैंक के पास गिरवी पड़ी थी इस प्रकार बिल्डर ने बैंक तथा जनता को धोखा दिया व करोड़ो रूपया कमाया।

3. फिर पंजाब नेशनल बैंक ने जनता को धोखा दिया क्योंकि ई–ऑक्शन का कोई समाचार पत्रों में सिटी ट्रेड सेन्टर की दुकानों के भौतिक कब्जे के बिना विज्ञापन दिया गया था, उपरोक्त की निलामी के लिए श्रीगंगानगर में बैंक द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई थी जिससे बिल्डर ने वही एक–एक बार बेची गई दुकानों को दूसरे खरीददारों को दोबारा बेचा गया। इस प्रकार राजेन्द्र वधवा पुत्र जगदीशचन्द्र वधवा व हरीश जसूजा पुत्र कशमीरीलाल जसूजा ने जनता को बैंक व नगरपरिषद की सहायता से धोखा दिया। इसके अतिरिक्त बिल्डर ने सभी खरीददारो से जिन्होने उनसे नगद राशि देकर दुकान ली, उनको केवल 10 प्रतिशत की रसीद ही दी गई जबकि उन्होने पुरा भुगतान किया। उदहारण के तौर पर अगर किसी ने उन्हे 1 लाख जमा करवाया तो उसने उन्हें केवल 10 हजार की ही रसीद दी।

ब्यूरो मुख्यालय के पत्रांक 9906–07 दिनांक 04.10.17 द्वारा उक्त शिकायत पर परिवाद संख्या 265/2017 दिनांक 03.10.17 दर्ज होकर प्राप्त होने पर तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की गयी। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस को जांच हेतु प्राप्त हुई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता श्री कुन्दनलाल अरोड़ा, गवाह सुखपाल कौर सहायक अभियन्ता, श्री मंगतराय सेतिया अधिशाषी अभियन्ता, सिद्धार्थ जांदू कनिष्ठ अभियन्ता, प्रवीण सिवांल कनिष्ठ सहायक, अमित सिडाना कनिष्ठ सहायक नगरपरिषद श्रीगंगानगर के बयान लिये गये तथा तत्कालीन संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। सिटी ट्रेड सेन्टर नं. 1 ए पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर की भूमि शाखा व निर्माण शाखा से रिकार्ड की फोटोप्रतियां प्राप्त की गयी तथा उक्त भूखण्ड संख्या 01 सिटी ट्रेड सेन्टर पब्लिक पार्क की मौका स्थिती हेतु कमेटी का गठन करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गयी। कमेटी की रिपोर्ट कमांक 2111 दिनांक 03.09.21 के अनुसार मौके पर बेसमेन्ट सहित कुल 08 फलोर निर्मित होना व मौके पर निर्माण परिषद द्वारा स्वीकृत नक्शे एवं निर्माण स्वीकृति के अनुरूप नहीं होना, उक्त भूखण्ड पर बिना सैटबैक छोड़े हॉल का नक्शा स्वीकृत किया जाना तथा मौके पर भूखण्ड मालिक द्वारा भूखण्ड पर दुकानों का निर्माण कर ग्राउण्ड लेवल से छत तक कुल उंचाई 69 फिट निर्माण किया जाना पाया गया जिसमें पेरापेट व छत पर बने कमरे की उंचाई शामिल नहीं है।

पंजाब नेशनल बैंक श्रीगंगानगर से भूखण्ड संख्या 1 पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर को बंधक रख दिये गये ऋण के संबंध में सूचना प्राप्त की गयी। बैंक की सूचना के अनुसार उक्त भूखण्ड पर भूखण्ड धारकों द्वारा पीएनबी श्रीगंगानगर स्थित शाखाओं से ऋण लिया गया है जो बैंक द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार दिया गया है। ऋण वसूली के संबंध में आरोपीगण के विरूद्ध जयपुर में वसूली वाद दायर हैं।

सिटी ट्रेड सेन्टर नं. 1 ए पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर की नगरपरिषद श्रीगंगानगर की गृहकर शाखा की पत्रावली के अनुसार अहाता संख्या 01 पब्लिक पार्क का साईज 77 गुणा 90 फिट है। जिसका पटटा तत्कालीन समय में श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह के नाम से जारी था। इसके पश्चात श्री जवाहर सिंह द्वारा निर्धारित विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1962 में करते हुऐ उक्त भुखण्ड की सेल डीड अपने भाईयों श्री सुन्दर सिंह, श्री सोहन सिंह, श्री कर्म सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह तथा श्री हरनाम सिंह, शरण सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह के पक्ष में दिनांक 22.03.1962 को निष्पादित कर दी गयी थी। तत्पश्चात उक्त अहाता आगे से आगे विक्रय होने पर श्री गुरशरण सिंह नरूला को प्राप्त हुआ। गुरशरण सिंह नरूला द्वारा अपने हिस्से की एक वसीयत अपने पुत्र श्री हरजीत सिंह नरूला एचयूएफ, उसकी धर्मपत्नि व बच्चे के पक्ष में दी थी। गृह कर शाखा द्वारा सम्पत्ति संख्या 221/2 श्री हरजीत सिंह नरूला पुत्र श्री गुरशरण सिंह नरूला के नाम से गृह कर रिकार्ड में दर्ज होने का सूचना पत्र जारी किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा अनुसार श्रीमान न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में प्रकरण संख्या 140/83 के निर्णय दिनांक 04.06.1983 के अनुसार एवं विक्रय पत्रों के अनुसार उक्त सम्पत्ति श्री गुरशरण सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह को मिली। गुरशरण सिंह का देहान्त दिनांक 23.03.05 को हो जाने पर प्रस्तुत वारिसनामा अनुसार उक्त अहाता के श्रीमती बलवीर कौर (पत्नि), श्री हरजीत सिंह (पुत्र), गुरप्रीत कौर (पुत्री) वारिस हो गये। गुरप्रीत कौर द्वारा अपने हिस्से का हक परित्याग अपनी माता व भाई के हक में कर दिया। इस प्रकार दस्तवेजों के अनुसार श्रीमती बलवीर कौर व श्री हरजीत सिंह को गुरशरण सिंह के हिस्से का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आवेदक श्रीमती बलवीर कौर व श्री हरजीत सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या 01 सिटी ट्रेड सेन्टर पब्लिक पार्क भूखण्ड को आवासीय से व्यवसायिक भू–रूपान्तरण हेतु नगरपरिषद श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया गया, आवासीय से व्यवसायिक का निर्धारित शुल्क आरक्षित दर का 40 प्रतिशत या डीएलसी का 20 प्रतिशत जो अधिक हो, जमा करवाया जाना था परन्तु शाखा प्रभारी श्री मामराज वरिष्ठ सहायक द्वारा आरक्षित दर का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाकर 10,29,400 रूपये कम प्राप्त कर राजकोष को हानि कारित की।

इसी भूखण्ड सं. 01 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के मालिक श्रीमती बलबीर कौर पत्नी श्री गुरशरण सिंह व हरजीत सिंह पुत्र श्री गुरशरण सिंह निवासीयान 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 23.01.13 को एक प्रार्थना पत्र मय 10/रू के शपथ पत्र तथा उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री तथा नक्शा की प्रतियों सहित भवन निर्माण स्वीकृति के लिए कार्यालय नगर परिषद् श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया। जिस पर श्री सरदूल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गृह कर शाखा व लीज की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। भूमि शाखा के द्वारा लीज बकाया नहीं हैं कि रिपोर्ट की गई तथा गृहकर शाखा द्वारा दिनांक 31.03.2007 तक गृहकर जमा होने की दिनांक 24.01.13 को रिपोर्ट की गई। फिर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदुल सिंह द्वारा आवेदन शुल्क 300 व जांच फीस 19,321 कुल 19,621/रू की फीस बनाकर पत्रावली सहायक अभियंता श्री संदीप नागपाल को भिजवायी गई। जिस पर उनके द्वारा पत्रावली केशियर को मार्क की गई। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 47/1999 दिनांक 24.01.13 के द्वारा 19,621/रू जमा करवाये गये। फिर दिनांक 24.01.13 को संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट की गई कि "मौका देखा गया मौके पर निर्माण कार्य शुरू नही है, दस्ता.बैयनामा स्वामित्व के पक्ष में है, प्रार्थी ने 100/रू के स्टाम्प पर लिखकर दिया है, कि मुझे बेसमेंट की स्वीकृति दी जावे, प्रार्थी का प्लाट तीन तरफ खुलता है, प्रार्थी को पूर्व दिशा में पांच फुट जगह छोड़कर स्वीकृति दी जा सकती है, प्रार्थी को पश्चिम दिशा व दक्षिण दिशा में तीन फुट प्रोजेक्शन की स्वीकृति दी जा सकती है, नक्शे टेक्नीक्ली चेकड है, प्रार्थी को 15 मीटर तक ऊंचाई की स्वीकृति दी जा सकती है। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा टिप्पणी की गई कि उपरोक्तानुसार निर्माण स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है, प्रोजेक्शन निर्माण की स्वीकृति का निर्णय नगर परिषद् मण्डल की आगामी बैठक में करवाया जाना उचित होगा, अंकित करते हुये पत्रावली श्रीमान आयुक्त महोदय व सभापति महोदय के समक्ष भिजवाई गई। जिस पर तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा अपने हस्ताक्षर कर अनुमति दी गई। फिर कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मलबा फीस 6000/रू, नक्शा फीस 200/रू, अनुमोदन फीस 1000/रू, पार्किंग 3,01,115/रू, अन्य 9309/रू कुल 3,17,624/रूपये बनाई गई। जिस पर आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 48/1999 दिनांक 24.01.13 के द्वारा 3,17,624/रूपये केशियर को जमा करवाये गये। तत्पश्चात तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 1979 दिनांक 29.01.13 के द्वारा भवन निर्माण उप नियम 2009 (बिल्डींग बॉयलाज) के अनुसार निर्माणाधीन भवन की ऊचाई 50 फीट तक की निर्माण स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात उक्त द्वारा यह निर्माणाधीन भूखण्ड हरीश जसूजा एवं राजेन्द्र वधवा को विक्रय कर चार भागों में पंजीकृत करवाया गया।

उक्त भूखण्ड सं. 01 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर उक्त क्रेताओं द्वारा बिना नामान्तकरण के ही निर्माण स्वीकृति हेतु नगर परिषद् श्रीगंगानगर में चार अलग–अलग निम्न आवेदन प्रस्तुत किये गये :–

1. भूखण्ड सं. 01 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के पूर्वी हिस्सा का निर्माण एवम बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु श्री हरीश जसूजा पुत्र श्री कश्मीरीलाल जसूजा श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.02.14 को एक प्रार्थना पत्र मय 10/रू के शपथ पत्र तथा उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री तथा नक्शा की प्रतियों सहित कार्यालय नगर परिषद् श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया। जिस पर श्री सरदूल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गृह कर शाखा व लीज की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। भूमि शाखा के द्वारा लीज बकाया नहीं हैं कि रिपोर्ट की गई। तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदुल सिंह द्वारा आवेदन शुल्क 300 व जांच फीस 4831 कुल 5131/रू की फीस बनाकर पत्रावली सहायक अभियंता श्री संदीप नागपाल को भिजवायी गई। जिस पर उनके द्वारा पत्रावली केशियर को मार्क की गई। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 77/2386 दिनांक 26.02.14 के द्वारा 5131/रू जमा करवाये गये। फिर दिनांक 04.03.14 को गृहकर शाखा द्वारा उक्त भूखण्ड का गृहकर 2007 तक जमा होने बाबत रिपोर्ट की गई। फिर दिनांक 07.03.14 को संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट की गई कि "मौका देखा गया मौके पर परिषद द्वारा पूर्व में इस भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति का नक्शा पारित किया गया था। अब पूर्व स्वीकृति प्राप्त करता ने इस भूखण्ड पर बेसमेंट व भूतल के निर्माण के दौरान ही भूखण्ड को चार भागों में बैचान कर दिया गया। आसपास के भवनों की ऊचाई को देखते हुये तथा सड़क व्यावसायिक होने के कारण 15 मीटर की ऊचाई तक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान मालिक श्री हरीश जसूजा ने अपने नाम के नक्शा पेश कर निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। पूर्व की स्वीकृति को देखते हुये निर्माण की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित हैं तथा साथ ही प्रार्थी से अन्तरिम रूप से **पार्किंग नियमीतिकरण** के एवज में राशि एक लाख जमा करवायी जानी प्रस्तावित हैं"। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा टिप्पणी की गई कि उपरोक्तानुसार निर्माण स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित करते हुये

पत्रावली आयुक्त व सभापति को भिजवाई गई। जिस पर श्री प्रहलाद मीणा तत्कालीन आयुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर कर अनुमति दी गई। फिर कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मलबा फीस 7500/रू, नक्शा फीस 200/रू, अनुमोदन फीस 1000/रू, पार्किंग 1,00,000/रू, अन्य 1090/रू कुल 1,09,790/रूपये बनाई गई। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा पत्रावली फीस जमा करवाने हेतु लेखाशाखा मे भिजवाई गई। फिर आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 73/2387 दिनांक 09.04.2014 के द्वारा 109790/रूपये केशियर को जमा करवाये गये। तत्पश्चात श्री प्रहलाद कुमार मीणा आयुक्त नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 63 दिनांक 10.04.2014 के द्वारा भवन निर्माण उप नियम 2009 (बिल्डींग बॉयलाज) के अनुसार निर्माणाधीन भवन की ऊचाई 50 फीट तक की निर्माण स्वीकृति जारी की गई।

2. भूखण्ड सं. 01 पार्ट, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के हिस्सा का निर्माण एवम बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु श्री राजेन्द्र वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र वधवा, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.02.14 को एक प्रार्थना पत्र मय 10/रू के शपथ पत्र तथा उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री तथा नक्शा की प्रतियों सहित कार्यालय नगर परिषद् श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया। जिस पर श्री सरदूल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गृह कर शाखा व लीज की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। भूमि शाखा के द्वारा लीज बकाया नहीं हैं कि रिपोर्ट तथा गृहकर शाखा द्वारा सम्पति का गृहकर 31.03.2007 तक जमा होने की रिपोर्ट दिनांक 04.03.14 की गई। फिर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदुल सिंह द्वारा आवेदन शुल्क 300 व जांच फीस 4831 कुल 5131/रू की फीस बनाकर पत्रावली सहायक अभियंता श्री संदीप नागपाल को भिजवायी गई। जिस पर उनके द्वारा पत्रावली केशियर को मार्क की गई। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 76/2386 दिनांक 26.02.14 के द्वारा 5131/रू जमा करवाये गये। फिर दिनांक 07.03.14 को संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट की गई कि "मौका देखा गया मौके पर परिषद द्वारा पूर्व में इस भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति का नक्शा पारित किया गया है। अब पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर्ता ने उक्त भूखण्ड पर बेसमेंट व भूतल के निर्माण के दौरान ही भूखण्ड को चार भागों में बैचान कर दिया है। आसपास के भवनों की ऊचाई को देखते हुये तथा सड़क व्यावसायिक होने के कारण 15 मीटर की ऊचाई तक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान मालिक श्री राजेन्द्र वधवा ने अपने नाम के नक्शा पेश कर निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। पूर्व की स्वीकृति को देखते हुये निर्माण की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित हैं तथा साथ ही प्रार्थी से अन्तरिम रूप से पार्किंग नियमीतिकरण के एवज में राशि एक लाख जमा करवायी जानी प्रस्तावित हैं"। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा टिप्पणी की गई कि उपरोक्तानुसार निर्माण स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित करते हुये पत्रावली आयुक्त व सभापति को भिजवाई गई। जिस पर श्री प्रहलाद मीणा तत्कालीन आयुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर कर अनुमति दी गई। फिर कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मलबा फीस 7500/रू, नक्शा फीस 200/रू, अनुमोदन फीस 1000/रू, पार्किंग नियमीतिकरण 1,00,000/रू, अन्य 2645/रू कुल 1,11,345/रूपये बनाई गई। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा पत्रावली फीस जमा करवाने हेतु लेखाशाखा मे भिजवाई गई। फिर आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 72/2387 दिनांक 09.04.2014 के द्वारा 1,11,345/रूपये केशियर को जमा करवाये गये। तत्पश्चात श्री प्रहलाद कुमार मीणा आयुक्त नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 53 दिनांक 10.04.2014 के द्वारा भवन निर्माण उप नियम 2009 (बिल्डींग बॉयलाज) के अनुसार निर्माणाधीन भवन की ऊचाई 50 फीट तक की निर्माण स्वीकृति जारी की गई।

3. भूखण्ड सं. 01 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के हिस्सा का निर्माण एवम बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु श्री हरीश जसूजा पुत्र श्री कश्मीरीलाल जसूजा श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 26.03.14 को एक प्रार्थना पत्र मय उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री तथा नक्शा की प्रतियों सहित कार्यालय नगर परिषद् श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया। जिस पर श्री सरदूल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गृह कर शाखा व लीज की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। भूमि शाखा के द्वारा लीज बकाया नहीं हैं कि रिपोर्ट की गई। तथा गृहकर शाखा द्वारा सम्पति का गृहकर 31.03.2007 तक जमा होने की रिपोर्ट दिनांक 26.03.14 की गई। फिर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदुल सिंह द्वारा आवेदन शुल्क 300 व जांच फीस 5270 कुल 5570/रू की फीस बनाकर पत्रावली सहायक अभियंता श्री संदीप नागपाल को भिजवायी गई। जिस पर उनके द्वारा पत्रावली केशियर को मार्क की गई। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 57/2387 दिनांक 03.04.14 के द्वारा 5570/रू जमा करवाये गये। फिर दिनांक 08.04.14 को संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट की गई कि "मौका देखा गया मौके पर परिषद द्वारा पूर्व में इस भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति का नक्शा पारित किया गया था। अब पूर्व स्वीकृति प्राप्त करता ने इस भूखण्ड पर बेसमेंट व भूतल व प्रथमतल के निर्माण के दौरान ही भूखण्ड को चार

भागों में बैचान कर दिया गया। आसपास के भवनों की ऊचाई को देखते हुये तथा सड़क व्यावसायिक होने के कारण 15 मीटर की ऊचाई तक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान मालिक श्री हरीश जसूजा ने अपने नाम के नक्शा पेश कर निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। पूर्व की स्वीकृति को देखते हुये निर्माण की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित हैं तथा साथ ही प्रार्थी से अन्तरिम रूप से पार्किंग नियमीतिकरण के एवज में राशि एक लाख जमा करवायी जानी प्रस्तावित हैं"। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा टिप्पणी की गई कि उपरोक्तानुसार निर्माण स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित करते हुये पत्रावली आयुक्त व सभापति को भिजवाई गई। जिस पर श्री मलकीत सिंह सैनी तत्कालीन आयुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर कर अनुमति दी गई। फिर कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मलबा फीस 7500/रू, नक्शा फीस 200/रू, अनुमोदन फीस 1000/रू, पार्किंग 1,00,000/रू, अन्य 1170/रू कुल 1,08,370/रूपये बनाई गई। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा पत्रावली फीस जमा करवाने हेतु लेखाशाखा मे भिजवाई गई। फिर आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 70/2388 दिनांक 08.05.2014 के द्वारा 1,08,370/रूपये केशियर को जमा करवाये गये। तत्पश्चात श्री मलकीत सिंह सैनी आयुक्त नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 234 दिनांक 08.05.2014 के द्वारा भवन निर्माण उप नियम 2009 (बिल्डींग बॉयलाज) के अनुसार निर्माणाधीन भवन की ऊचाई 50 फीट तक की निर्माण स्वीकृति जारी की गई।

4. भूखण्ड सं. 01, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के हिस्सा का निर्माण एवम बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु श्री राजेन्द्र वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र वधवा, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 31.03.14 को एक प्रार्थना पत्र मय उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री तथा नक्शा की प्रतियों सहित कार्यालय नगर परिषद् श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया। जिस पर श्री सरदूल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गृह कर शाखा व लीज की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। भूमि शाखा के द्वारा लीज बकाया नहीं हैं कि रिपोर्ट तथा गृहकर शाखा द्वारा सम्पति का गृहकर 31.03.2007 तक जमा होने की रिपोर्ट की गई। फिर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदुल सिंह द्वारा आवेदन शुल्क 300 व जांच फीस 5270 कुल 5570/रू की फीस बनाई गई। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 66/2387 दिनांक 03.04.14 के द्वारा 5570/रू जमा करवाये गये। फिर दिनांक 05.04.14 को संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट की गई कि "मौका देखा गया मौके पर परिषद द्वारा पूर्व में इस भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति का नक्शा पारित किया गया है। अब पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर्ता ने उक्त भूखण्ड पर बेसमेंट व भूतल व प्रथम तल के निर्माण के दौरान ही भूखण्ड को चार भागों में बैचान कर दिया है। आसपास के भवनों की ऊचाई को देखते हुये तथा सड़क व्यावसायिक होने के कारण 15 मीटर की ऊचाई तक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान मालिक श्री राजेन्द्र वधवा ने अपने नाम के नक्शा पेश कर निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। पूर्व की स्वीकृति को देखते हुये निर्माण की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित हैं तथा साथ ही प्रार्थी से अन्तरिम रूप से पार्किंग नियमीतिकरण के एवज में राशि एक लाख जमा करवायी जानी प्रस्तावित हैं"। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा टिप्पणी की गई कि उपरोक्तानुसार निर्माण स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित करते हुये पत्रावली आयुक्त व सभापति को भिजवाई गई। जिस पर श्री मलकीत सिंह सैनी तत्कालीन आयुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर कर अनुमति दी गई। फिर कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरदूल सिंह द्वारा मलबा फीस 6000/रू, नक्शा फीस 200/रू, अनुमोदन फीस 1000/रू, पार्किंग नियमीतिकरण 1,00,000/रू, अन्य 1170/रू कुल 1,08,370/रूपये बनाई गई। जिस पर सहायक अभियन्ता श्री संदीप नागपाल द्वारा पत्रावली फीस जमा करवाने हेतु लेखाशाखा मे भिजवाई गई। फिर आवेदक द्वारा नगर परिषद् में रसीद संख्या 69/2388 दिनांक 08.05.14 के द्वारा 1,08,370/रूपये केशियर को जमा करवाये गये। तत्पश्चात श्री मलकीत सिंह सैनी आयुक्त नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 239 दिनांक 08.05.14 के द्वारा भवन निर्माण उप नियम 2009 (बिल्डींग बॉयलाज) के अनुसार निर्माणाधीन भवन की ऊचाई 50 फीट तक की निर्माण स्वीकृति जारी की गई।

उपरोक्त चारो निर्माण स्वीकृतियॉ जारी किये जाने से पूर्व हरीश जसूजा एवं राजेन्द्र वधवा द्वारा उक्त एक ही मूल भूखण्ड को चार अलग–अलग पंजीबद्ध बैयनामों से 08.04.2013 को खरीद कर अपने–अपने हिस्से का नामान्तरण करने हेतु आवेदन गृह कर शाखा में प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु मुताबिक पत्रावली नामान्तरण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार नगरपरिषद द्वारा ना तो उक्त भूखण्ड संख्या 1 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में दर्ज करवाया गया और ना ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत भुखण्ड साईज अनुसार मूल भूखण्ड का नियमानुसार उपविभाजन ही करवाया गया।

इस प्रकार सत्यापन के दौरान संकलित दस्तावेज, लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों तथा मौका स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड सं0 01 सिटी ट्रेड सेन्टर पब्लिक पार्क

श्रीगंगानगर के लिये भूखण्ड स्वामी श्रीमती बलवीर कौर एवं हरप्रीत सिंह द्वारा भू रूपान्तरण (आवासीय से व्यवसायिक) हेतु निर्धारित शुल्क आरक्षित दर का 40 प्रतिशत या डीएलसी दर का 20 प्रतिशत जो अधिक हो जमा करवाया जाना था परन्तु तत्कालीन लिपिक श्री मामराज द्वारा भूखण्डधारियों से मिलीभगत कर आरक्षित दर (8000/– प्रति वर्ग मीटर) के 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई है जिस कारण परिषद को कुल 10,29,400 रूपये का राजस्व कम प्राप्त होना पाया गया। इसी प्रकार उपरोक्त भूखण्ड सं0 01 सिटी ट्रेड सेन्टर पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर पर निर्माण के दौरान ही हरीश जसूजा एवं राजेन्द्र वधवा द्वारा चार अलग–अलग बैयनामों से खरीद करने के उपरान्त उपविभाजन एवं नामान्तरण नहीं होने पर भी सर्दूल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता की अनुशंषा पर नगरपरिषद श्रीगंगानगर द्वारा निर्माण स्वीकृतियां जारी किये जाने से कुल राशि 4000 रूपये की राजकोष को हानि कारित किया जाना पाया गया।

इसके अलावा उक्त भूखण्ड की चार अलग–अलग निर्माण स्वीकृति हासिल करने के लिए प्रस्तुत हॉलनुमा नक्शे के विपरीत उक्त भूखण्ड पर एक मॉलनुमा भवन का निर्माण करते हुऐ छोटी–छोटी दुकानें अलग–अलग लोगों को विक्रय कर दी गयी, कनिष्ठ अभियन्ता सर्दुल सिंह द्वारा अपनी रिपोर्ट में बेसमेन्ट एवम भूतल का निर्माण के दौरान ही भूखण्ड विक्रय होने पर निर्माण की सूचना दिये बिना पूर्व स्वीकृति के अनुसार ही अलग–अलग निर्माण स्वीकृतियां जारी करवा दी गई तथा अलग–अलग जारी निर्माण स्वीकृतियों में वर्णित 50 फुट उंचाई के स्थान पर ग्राउण्ड लेवल से छत तक कुल 69 फुट उंचाई का निर्माण नियम विरूद्व करवाकर आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाना पाया गया।

अतः नगरपरिषद में तैनात श्री सर्दूल सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री मामराज तत्कालीन वरिष्ठ सहायक नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं अन्य द्वारा अपने–अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ लाभार्थीगण को अनुचित लाभ पहुॅचाकर राजकोष को हानि कारित करना पाया गया है।

अतः श्री सर्दूल सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री मामराज तत्कालीन वरिष्ठ सहायक नगर परिषद श्रीगंगानगर, श्रीमती बलवीर कौर, श्री हरप्रीत सिंह, श्री राजेन्द्र वधवा, श्री हरीश जसूजा एवं अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी)13(2)पीसी एक्ट 1988 एवं 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(वेदप्रकाश लखोटिया)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
श्रीगंगानगर–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री सर्दूल सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद् श्रीगंगानगर, हाल सेवानिवृत निवासी पुरानी आबादी कोढ़ियों वाली पुली खालसानगर गेट के सामने श्रीगंगानगर 2. श्री मामराज पुत्र श्री तेजाराम निवासी 142 शिव कालोनी, वार्ड नम्बर 38, श्रीगंगानगर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, नगर परिषद् श्रीगंगानगर, हाल सेवानिवृत 3. श्रीमती बलवीर कौर पत्नि स्व. गुरशरण सिंह निवासी चक 5 जेड लायलपुर फार्म तह. व जिला श्रीगंगानगर। 4 श्री हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. गुरशरण सिंह निवासी चक 5 जेड लायलपुर फार्म तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5. श्री राजेन्द्र वधवा पुत्र श्री जगदीशचन्द्र वधवा निवासी 2 बी 25 सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर 6. श्री हरीश जसूजा पुत्र श्री कशमीरीलाल जसूजा निवासी 1 बी 17 सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 227/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2626-31 दिनांक 23.08.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
3. नगर परिषद बोर्ड, श्रीगंगानगर
4. नगर परिषद बोर्ड, अनुपगढ, श्रीगंगानगर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(परि.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि.265/17)

23.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।